सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

2019/03530

16/6/19 हरिसिंह बनाम हनुमान

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24.8.21	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे / अन्य मुख्यालय में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23.9.21 को पेश हो।
	23.9.21	पत्रावली पे[illegible] अन्य] कार्य[illegible] नहीं [illegible] दिनांक 16.12.21 [illegible]
जगदीश सिंह शिशुपाल सिंह सुमेरराम हनुमानराम नन्दराम हरिसिंह शिवराजसिंह जगदीश नारायण जगदीश नारायण सरपंच ग्राम पंचायत दनाऊकलाँ पंचायत समिति तुंगा (जयपुर) Mob.9928127606	16.12.21	पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प दनाऊकलां में पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित जिनकी पहिचान सरपंच ग्राम पंचायत दनाऊकलां ने की है। प्रतिवादी सं. 1,4,8 के द्वारा प्रार्थना O7 R11 CPC पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता व पति नौकरराम पुत्र [illegible] की खातेदारी की भूमि ख. नं. 74/136 रकबा 0.2 बिस्वा स्थित ग्राम घाटीपुरा का वर्तमान नक्शा है स 0.02 बिस्वा का जमाबंदी में दर्ज रकबे के मुताबिक बना हुआ है अर्थात नक्शा भी सही रकबे का बना हुआ है। वादी ने मद सं. 7 में दिनांक 28.7.18 को भूमि एवं वास्तविक स्थिति का उल्लेख कर अलग वादकारण उत्पन्न होने का उल्लेख किया है वादीगण का वाद धारा 88, 89 RT Act 1955 में वर्णित प्रावधानों की परिधि में नहीं आता है अतः वादीगण के वादपत्र को

2017/ … 353

फर्द अहकाम

… बनाम …

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 166/19

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण द्वारा विरोध पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने अपना दावा 33, 39, 134 आदि धारा के तहत वाद पेश किया जिसको न्यायालय को सुनने का पूर्ण अधिकार है पटवारी हल्का के नक्शा लट्ठा व तरमीम नक्शे में दिखता है जिसके कारण वादीगण की भूमि को गलत स्थान पर दर्शित किया गया है जिसके कारण वादीगण की पश्चिमी तरफ की भूमि मूल खं. 74 में दर्शा दी गयी है। एवं पटवारी हल्का के नक्शे में की गयी तरमीम दान पत्र के साथ संलग्न नक्शा के विपरीत है वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित वाद नहीं है। प्रार्थी / प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेबुनियाद एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रकरण को देरी करने की गरज से पेश होने के कारण मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र 07/11 सी पर प्रार्थी / प्रतिवादी व वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं वादी व प्रतिवादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनने के पश्चात प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार मूल ख.नं. 74 ग्राम …पुरा के पटवार नक्शे हेतु … के … हेतु नक्शा अनुसार वादीगण की भूमि नहीं है पटवारी हल्का के नक्शा लट्ठा व तरमीम नक्शों में दिखता है जिसके कारण वादीगण की भूमि को गलत स्थान पर दर्शित किया गया है वादीगण की पश्चिमी तरफ की भूमि मूल ख.नं. 74 में दर्शा दी गयी है पटवारी हल्का के नक्शे में की गयी तरमीम दान पत्र के साथ संलग्न नक्शे के विपरीत है। जिसके लिए वादी व प्रतिवादी ने … में उपस्थित होना स्वीकार … का पेश किया	

…

2015/00353

फर्द अहकाम

हरिसिंह बनाम हनुमान

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रतिवादी सं.1,4,8 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07/11/08 सहमति पत्र के आधार पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुना गया। वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के मय दावा अदालत में पेश होकर वाद पत्र में वादी द्वारा चाही गयी रिलीफ के सम्बन्ध में वादी व प्रतिवादी द्वारा दी गयी सहमति पत्र के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 74/136 रकबा 2 बिस्वा स्थित ग्राम धानीपुरा तहसील बस्सी (तूंगा) जिला जयपुर का दिनांक 18.12.1998 को हुए रजिस्टर्ड ~~[illegible]~~ दान पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार जिसका ख.नं. 74 है का कब्जे अनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार तूंगा को आदेश दिया जाता है कि मूल ख.नं. 74 स्थित ग्राम धानीपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर जिसका नजरी नक्शा वसीयतनामे के संलग्न है जिसके अनुसार ख.नं. 74/136 वसीयतनामा के अनुसार सन 1999 में मौके पर तत्समय वसीयत ग्रहीता को जो कब्जा दिया गया था जिसकी सीमा ज्ञात तत्कालीन पटवारी द्वारा फील्डबुक में लिखा गया है उसी अनुसार गत ख.नं. 74 एवं वर्तमान ख.नं. 74/136 के नजरी नक्शे ~~[illegible]~~ दुरस्त कर रजिस्टर्ड वसीयतनामे के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार सन 1999 में वसीयत ग्रहीता को जो कब्जा दिलाया गया है उसी अनुसार वादी को	

2013/04753

फर्द अहकाम

हरीसिंह बनाम रघुनाथ

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		कब्जा दिलाया जाकर नक्शे में दुरुस्ती कर नक्शा में तरमीम की जावे। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार तूंगा को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री का पालना पत्र जारी रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 16.12.21 को यह निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प पक्षकारान के खुले आम में सुनाया गया (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1. हरिसिंह
2. हनुमान सिंह
3. शिवराज सिंह
4. मोहन सिंह
5. हाकिम सिंह पुत्रान् तोफराम
6. मूली कंवर पत्नि तोफराम
   समसत जाति राजपूत निवासी ग्राम घासीपुरा पोस्ट दणाउँकला, तह. बस्सी जिला जयपुर।
7. गोपाल कंवर पुत्री तोफराम पत्नि लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कानोता, तह. बस्सी जिला जयपुर।
8. नवल कंवर पुत्री तोफराम पत्नि सुरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत निवासी पानी की टंकी के पास, शास्त्री नगर जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. हनुमानराम पुत्र भंवरराम
2. सुमेरराम पुत्र भंवरराम
3. दिलीपराम उर्फ जगदीश सिंह पुत्र भंवरराम
4. शिशुपालराम पुत्र भंवरराम
5. संतोष कंवर पुत्री भंवरराम
6. लड्डू कंवर उर्फ प्रिया कंवर पुत्री भंवरराम
   प्रतिवादी सं. 3 लगायत 6 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता रतन कंवर पत्नि भंवरराम
7. रतन कंवर पत्नि भंवरराम
8. नन्दराम पुत्र गणपत राम
   जाति राजपूत निवासी ग्राम घासीपुरा पो. दणाउकला तह. बस्सी जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर
10. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

<u>दावा बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मु0न0 166/19

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 74/136 रकबा 2 बिस्वा स्थित ग्राम घासीपुरा तह. बस्सी/तूंगा जिला जयपुर का दिनांक 18.12.1998 को हुए रजिस्टर्ड दान पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार जिसका पूर्व ख.नं. 74 है का कब्जे अनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार तूंगा को आदेश दिया जाता है कि मूल ख.नं. 74 स्थित ग्राम घासीपुरा तह. तूंगा जिला जयपुर जिसका नजरी नक्शा बक्शीशनामे के संलग्न है जिसके वर्तमान ख.नं. 74/136 है बक्शीशनामा के अनुसार सन् 1999 में मौके पर तत्समय बक्शीश गृहिता को जो कब्जा दिया गया था जिसका सीमाज्ञान तत्कालीन पटवारी द्वारा संलग्न नक्शे में लिखा गया है उसी अनुसार गत ख.नं. 74 एव वर्तमान ख.नं. 74/136 के नजरी नक्शे को दुरुस्त कर रजिस्टर्ड बक्शीशनामे के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार सन् 1999 में बक्शीश गृहिता को जो कब्जा दिलाया गया है उसी अनुसार वादी को कब्जा दिलाया जाकर नक्शे में दुरुस्ती कर नक्शे में तरमीम की जावे। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार तूंगा को तहरीर जारी हो। .... निजी .... मुबलिक .... बाबत .... खर्चा .... इस मुकददमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक .... को अदा करें।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12.2021 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मोहर

ओहदा

[illegible]	रुपये	पैसे	[illegible]	रुपये	पैसे
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा पर ही कॉलम का वाले हिन्दी के अतिरिक्त दिखाया हो वह नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर

[illegible]